

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.03.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त 01. सैदूल शेख व 02. पैजल उर्फ रौजीदुर इस्लाम को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सैदूल शेख पुत्र रोमेश अली शेख निवासी छोटो मोजाबादी थाना वासुगाँव जनपद चिराग आसामा
02. पैजल उर्फ रौजीदुर इस्लाम पुत्र सोहर अली निवासी बल्लफ टलटारी थाना फुलवारी साऊथ सलमारा, जनपद डुबरी आसामा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 198/2023 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा

बरामदगी-

01. 1किलो 300 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

- उ0नि0 बब्बन सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.03.2023

लूट की घटना को अंजाम देने वाला शातिर लूटेरा गिरफ्तार, लूट की 01 अदद मोबाइल फोन व 9200/- रूपये नगद बरामद-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित/प्रकाश में आए अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में घटना का सफल अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी मनकापुर के नेतृत्व में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस व एस0ओ0जी0 की सयुक्त टीमें गठित की गयी थी।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 05.03.2023 को थाना कोतवाली मनकापुर व एस0ओ0जी0 की सयुक्त टीम द्वारा मु0अ0स0 185/2023, धारा 392, 352, 420 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्तों की पतारसी- सुरागरसी करते हुए मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली मनकापुर क्षेत्र के अन्तर्गत लूट करने वाला शातिर लूटेरा विशाल कुमार मिश्रा उर्फ गोपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तथा उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल , 9200/- रूपये नगद, व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। घटना में संलिप्त 01 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विशाल कुमार मिश्रा उर्फ गोपाल पुत्र विजय प्रताप मिश्रा निवासी तुर्कडिहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 185/2023, धारा 392, 352, 420, 411 भादवि0 व 4/25 आर्मस एक्ट थाना को0 मनकापुर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद मोबाइल लूट की
02. 9200रूपये नगद लूट की
03. 01 अदद अवैध चाकू
04. 01 अदद मोटरसाइकिल घटना प्रयुक्त बरामद

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. निरीक्षक अरुण कुमार राय मय टीम थाना मनकापुर गोण्डा।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 संतोष कुमार सिंह मय टीम जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.03.2023

आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस ने की अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 07 अभियुक्त गिरफ्तार, 94 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने आगामी त्यौहार के दृष्टिगत अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर अवैध कच्ची शराब का निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री कर रहे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 ली0 शराब, थाना तरबगंज पुलिस ने 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 04 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना को0नगर पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब, थाना मोतीगंज पुलिस ने 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध संबंधित थानों द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।